

- 1- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक),  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन),  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:-विभाग में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्त हेतु स्क्रीनिंग के संबंध में।

कृपया इस कार्यालय के पत्र सं०-स्था०-6-सामान्य स्क्रीनिंग 2019-20/1497/वाणिज्य कर दिनांक 08-07-2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासन के कार्मिक अनुभाग-1 के पत्र सं०-13(1)/2007/का-1-2019 दिनांक 20-06-2019 के अनुपालन में समूह-ग एवं घ के पदों पर दिनांक 31-03-2019 तक 50 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण करने वाले कार्मिकों को शासनादेश सं०- 13/5-89-का-1-1989 दिनांक 06-02-1989, शासनादेश सं०-13/6/98-का-1-1998 दिनांक 21-05-1998, शासनादेश सं०-868/13/6-98-का-1-2000 दिनांक 23-09-2000, शासनादेश सं०-199/का-1-2001 दिनांक 23-09-2000 शासनादेश सं०-13(1)/2007/का-1-2007 दिनांक 25-01-2007, शासनादेश सं०-3/2017/13(1)/2007/का-2017 दिनांक 06-07-2017 तथा शासनादेश सं०-9/2018/13(1)/2007/का-1-2018 दिनांक 06-07-2018 के दृष्टिगत नियुक्ति प्राधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करके अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करके अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये जाने के संबंध में दिनांक 11-07-2019 तक कृत कार्यवाही की सूचना मुख्यालय उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त वांछित सूचना अभी तक अप्राप्त है जबकि संदर्भित प्रकरण में कृत कार्यवाही की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर फैक्स के माध्यम से मुख्यालय को आज ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि स्क्रीनिंग से संबंधित सूचना समयान्तर्गत शासन को प्रेषित की जा सके।

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्र०प०सं० व दिनांक एवं उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- ज्वाइन्ट कमिश्नर(संग्रह)वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आईटी)वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 3- पटल प्रभारी स्था-3(क/ख) /5क / 5ग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मुख्यालय स्तर से की जाने वाली स्क्रीनिंग की कार्यवाही के मामलों में अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव पर नियमानुसार सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करायी जाये।

05/08/19  
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।